2012/00023 (38)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ

(राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत सैपऊ)

पीठासीन अधिकारी --विनोद कुमार मीना आर0 ए0 एस0

प्रकरण संख्या--102/2012

1--विशनदेवी पत्नी स्व0 श्री राजेन्दसिंह 2--शिवनारायन पुत्र स्व0 श्री राजेन्द्रसिंह 3--सुनीता 4--अनीता 5--हरिओम 6--नीरज पुत्रगण स्व0 श्री राजेन्द्रसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम चन्द का नगला तहसील सैपऊ

.....................वादीगण

बनाम

1--राधेश्याम 2--उमाचरन 3--लक्ष्मीनारायण पुत्रगण श्री भोगीराम जाति ठाकुर निवासी ग्राम सुखभान का पुरा तहसील व जिला आगरा हाल निवासी चन्दू का पुरा तहसील सैपऊ
4--राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

दावा वास्ते इश्तकरार हक,बटबारा काश्त एंव स्थाई निशेधाज्ञा

उपस्थिति--
1--श्री विशनदेवी वगैरा-- वादीगण
2--उमाचरन वगैरा-- प्रतिवादी

निर्णय दिनांक :11.7.2017

वादीगण की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण वास्ते इश्तकरार हक, बटवारा काश्त न्यायालय में विवादित आराजी खसरा नम्बर 13, 56, 57, 58, 59, 69, 72, 90, 108, 115 स्थित ग्राम झीलरा तहसील सैपऊ, आराजी खसरा नम्बर 154, 155, 156 स्थित ग्राम कोडपुरा तहसील सैपऊ का प्रस्तुत किया । उभयपक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाकर दिनांक 30.6.2016 को दावा वादीगण प्रारंभिक डिक्री किया जाकर गुणावगुण के आधार पर दिनांक 30.6.2016 को दावा वादीगण प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर मुताबिक आदेश कार्यवाही कर बाई मीटस एण्ड बाउण्ड बटंवारा किये जाने के आदेश दिये गये है तथा तहसीलदार सैपऊ को आदेशानुसार कार्यवाही कर अच्छी में अच्छी तथा बुरी में से बुरी भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया ।

तहसीलदार सैपऊ द्वारा कैम्प के दौरान ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये। विभाजन प्रस्ताव पर उपस्थित पक्षकारों को सुना तथा तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया। उपस्थित पक्षकारों द्वारा मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दावा डिक्री किये जाने पर सहमति जाहिर की । तहसीलदार सैपऊ द्वारा

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत ....

मुताबिक आदेश विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये किये जाना प्रतीत होता है । ऐसी स्थिति में दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री कियाँ जाना उचित समझते है ।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताविक विभाजन प्रस्ताव अंतिम रूप से डिक्री किया जाता है तथा आराजी वादग्रस्त स्थित ग्राग झीलरा व कोडपुरा तहसील सैपऊ के वावत् पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बटवारा किया जाता है ।

1– विशनदेवी पत्नी स्व0 राजेन्द्रसिंह, शिवनारायन पुत्रश्री राजेन्द्रसिंह, सुनीता, अनीता पुत्रीयान हरिओम, नीरज पुत्रान पिसरान राजेन्द्रसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम चन्दू का नगला तहसील सेपऊ जिला धौलपुर

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	108	1.10
	90	1.00
	115	1.09
	56 / 1	0.15
	154 / 1	0.12
	155 / 1	0.03
कुल	06	5.09

2–राधेश्याम पुत्रश्री भोगीराम जाति ठाकुर निवासी चन्दू का नगला तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	57	1.04
	56 / 3	0.05
	59 / 1	0.07
	155 / 3	0.08
	156 / 1	0.07
कुल	05	2.11

3–उमाचरन पुत्रश्री भोगीराम जाति ठाकुर निवासी चन्दू का नगला तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	69	1.15
	13	0.15
	56 / 2	0.12
	154 / 2	0.06
	155 / 2	0.09
कुल	05	3.17

उपखण्ड अधिकारी सैंपऊ

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

... पंचायत ....

4- लक्ष्मीनारायन पुत्रश्री भोगीराम जाति ठाकुर निवासी चन्दू का नगला तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

क0सं0	ख0नं0	रकवा
1.	72	1.14
	58	0.16
	59/2	0.12
	156/2	0.15
कुल	04	3.17

उपरोक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कर पक्षकारों के पृथक–पृथक खाता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। साथ ही तहसीलदार सैपऊ को आदेश दिया जाता है कि विभाजित खसरा नम्बर के वावत् नियमानुसार राजस्व मानचित्र में तरमीम की कार्यवाही करने के उपरान्त ही नामा0 की कार्यवाही करें। लगान के 20 गुणा राशि पर देय मुन्द्रांक शुल्क के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेश होने पर पर्चा डिक्री जारी किया जावे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11.7.2017 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विनोद कुमार मीना)
उप खण्डाधिकारी
सैपऊ

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत ....